माननीय अध्यक्ष महोदय,

हमारी सरकार का प्रथम बजट प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सरकार के प्रति जनता का अपार विश्वास एवं अपेक्षाएं हमारे लिए नई चुनौतियाँ लाया है। हमारा यह संकल्प है कि हम इन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

2. विधान सभा चुनाव के समय हमने प्रदेश के गरीब जरूरतमंद, बेरोजगार, लघु एवं सीमान्त कृषक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों से अनेकों वादे किए थे। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए नई योजनाएं प्रारम्भ करने का संकल्प लिया था। मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि हमने इस बजट में इन वादों तथा संकल्प को पूर्ण करने का हरसंभव प्रयास किया है तथा इस हेतु बजट में समुचित प्रावधान किया है।

3. हमारी सरकार का प्रथम बजट पूर्णतः विकासोन्मुखी है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सूखा सबसे बड़ी चुनौती है। इस स्थिति का सामना करने के लिए इस बजट में हमने प्रदेश की सिंचाई क्षमता एवं संसाधन में रिकार्ड वृद्धि, किसानों के लिए साख व्यवस्था, उन्नत एवं प्रमाणित बीज एवं उपकरण मुहैया कराने पर विशेष जोर दिया है। मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष के बजट में सिंचाई संसाधनों में वृद्धि करने के लिए पिछले वर्षो की तुलना में सर्वाधिक प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 43 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हैं। इन वर्गों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा

रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। मानव संसाधन तथा अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास पर भी पर्याप्त जोर दिया गया है।

4. अध्यक्ष महोदय, इन सभी चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ हमने यह भी प्रयास किया है कि बजट घाटा नियंत्रित रहे एवं बजट संतुलित रहे।

आर्थिक स्थिति

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

5. वर्ष 2001-02 में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 29518 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2002-03 में 29715 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 0.67 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2001-02 में 14123 रुपए था जो वर्ष 2002-03 में 14083 रुपए अनुमानित किया गया है। यह गत वर्ष की तुलना में 0.28 प्रतिशत कम है। सकल घरेलू उत्पाद में कम वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष 2002-03 में सूखा के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में कमी होना है।

6. वर्ष 2002-03 में खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष 54.11 लाख मिट्रिक टन से घटकर 42.83 लाख मिट्रिक टन हुआ है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत कम है।

7. विगत तीन वर्षों में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6 प्रतिशत रही है। वर्ष 2003-04 में वृद्धि की यह दर लगभग 7 प्रतिशत अनुमानित है। विगत 3 वर्षों में औसत आर्थिक उपलब्धि के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रचलित भावों पर निम्नानुसार है :-

- कृषि उत्पादन में लगभग 4.93 प्रतिशत वृद्धि
- औद्योगिक उत्पादन में 1.65 प्रतिशत वृद्धि
- प्रति व्यक्ति आय में 4.81 प्रतिशत वृद्धि

8. अध्यक्ष महोदय, हमें विरासत में कुछ गंभीर समस्याएं मिली है, जिनका भी मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। औद्योगिक क्षेत्र में विकास की वृद्धि दर अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है। अपर्याप्त राजकोषीय समायोजन एक कठिन समस्या का रूप धारण कर रहा है। विभिन्न संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार की पेंशन देनदारी में लगातार वृद्धि हो रही है। ब्याज भुगतान में वार्षिक वृद्धि राजकोषीय मध्यावधि सुधार कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों से अधिक है।

बजट के प्रमुख बिन्दु

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रथम बजट के कुछ प्रमुख बिन्दुओं की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

9. नई सरकार के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमने विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए निम्नानुसार बजट प्रावधान किए हैं –

- अनुसूचित क्षेत्रों में नमक जैसी जरूरी वस्तु का अभाव हमारे लिए एक चुनौती है। ऐसे इलाकों में नमक को शोषण का कारण माना जाता रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के 19 लाख गरीब परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो की रियायती दर से आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने हेतु 7 करोड़ रुपए

- प्रदेश के गरीब, जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए में पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 146 विकास खंड मुख्यालय में **''अन्नपूर्णा दाल–भात केन्द्र''** स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 करोड़ रुपए

- शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 300 रुपए को बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह किया गया है, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

- प्रदेश के प्रत्येक अनुसूचित जनजाति गरीब परिवार को दुधारू गाय प्रदाय हेतु 25 करोड़ रुपए
- लघु एवं सीमांत कृषकों को रियायती दर पर 5 हार्स पॉवर मोटर तथा विद्युत विहीन ग्रामों में 10 हार्स पॉवर तक जनरेटर खरीदी पर अनुदान हेतु 1 करोड़ रुपए

- किसानों को उचित मूल्य पर उन्नत एवं प्रमाणित बीज तथा कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीज एवं कृषि विकास निगम की स्थापना हेतु 50 लाख रुपए

- प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों के 18260 छात्राओं को नि:शुल्क सायकल प्रदाय हेतु 2.37 करोड़ रुपए

- अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आश्रम शालाओं की स्थापना हेतु 1.7 करोड़ रुपए

- विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना हेतु 56 लाख रुपए

- आयुर्वेद औषधालय शोध एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु 1.31 करोड़ रुपए

- प्रदेश के अविकसित जिलों में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए

- बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के गठन हेतु 20 करोड़ रुपए

- गुरू घासीदास की जन्म स्थली गिरौदपुरी के समन्वित विकास के लिए 5 करोड़ रुपए

- शहीद वीरनारायण सिंह की जन्म स्थली सोनाखान के समन्वित विकास के लिए 5 करोड़ रुपए
- प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में टूरिस्ट मोटल निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए

10. अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने **''विधान सभा क्षेत्र विकास योजना''** जिसे संक्षेप में विधायक निधि कहा जाता था, को समाप्त कर दिया था। हमने जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के इस अधिकार के हनन का निरन्तर विरोध किया था। माननीय सदस्यगण को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हम इस योजना को निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए पुनः प्रारम्भ करना प्रस्तावित कर रहे हैं -

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित राशि 20 लाख रुपए को बढ़ाकर 30 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।

- इस राशि से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक के कार्यों के प्रस्तावों को माननीय विधायकगण की अनुशंसा पर स्वीकृत किए जाएंगे तथा 10 लाख रुपए तक के कार्य जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत किए जाएंगे।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

11. अध्यक्ष महोदय, गरीबी प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लगभग 35 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 40 विकास खंडों के 2000 गांवों में गरीबी उन्मूलन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस योजना से इस वर्ष गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 1 लाख परिवार लाभान्वित होगें। प्रदेश के पिछड़े जिलों में गरीबी उन्मूलन के लिए संचालित समविकास योजना केवल बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिले में संचालित है। इस वर्ष 4 नए जिले क्रमशः राजनांदगांव, कवर्धा, सरगुजा एवं जशपुर इस योजना में सम्मिलित किए गए हैं एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षित बेरोजगारों को प्राप्त हो रहे बेरोजगारी भत्ता में 200 रुपए की वृद्धि के साथ-साथ उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी विशेष पिछड़ी जनजाति के 1 लाख परिवारों को **''अंत्योदय अन्न योजना''** का लाभ दिया जाएगा एवं इस पर होने वाला आनुषांगिक व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

कृषि एवं सिंचाई

12. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने भाषण के प्रारम्भ में उल्लेख किया है, सूखे के संकट से निपटने के लिए एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई क्षमता में वृद्धि अत्यावश्यक है एवं हमारे बजट की यह सर्वोच्च

प्राथमिकता है। इस वर्ष बजट में सिंचाई संसाधन में वृद्धि हेतु किया गया प्रावधान गत वर्ष के प्रावधान की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है जो विगत 4 वर्षो में सर्वाधिक है। सिंचाई क्षेत्र के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है –

- 184 अपूर्ण सिंचाई परियोजना – 1 वृहद परियोजना जोंक, 4 मध्यम परियोजनाएं – मांड, बरनई, अपर जोंक एवं खरखरा मोहदीपाट तथा 179 लघु सिंचाई योजनाओं को इस वर्ष पूर्ण किया जाएगा, जिससे लगभग 77 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

- 54 नई सिंचाई परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही है।

- निर्मित सिंचाई क्षमता का अधिकाधिक उपयोग तथा राज्य में रबी फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु फील्ड चैनल के निर्माण पर विशेष महत्व दिया गया है। इससे पानी का दुरूपयोग रूकेगा एवं अंतिम छोर के किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। पहली बार राज्य के स्वयं के संसाधनों से फील्ड चैनल के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

इन संसाधनों से कुल 1.20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी तथा वर्तमान सिंचाई क्षमता 15.69 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.90 लाख हेक्टेयर होगी, जिससे वर्तमान सिंचाई क्षमता में 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

13. वाणिज्यिक फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के 146 विकास खंडों के दो-दो गांवों में दलहन एवं तिलहन की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। जैविक एवं स्थाई खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक ग्रामों की स्थापना की जाएगी। राज्य में 185 जलग्रहण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। राज्य के 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैव ईंधन फसलों की खेती का कार्यक्रम है। ग्रामीण साख व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं कृषकों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी बैंक, रायगढ़ को 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

वन

14. छत्तीसगढ़ राज्य का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। हमारी सरकार ने वनों के संरक्षण, पोषण तथा इस हेतु जनसहभागिता पर पर्याप्त ध्यान दिया है। राज्य में समेकित वन सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है, जिससे वनों की अग्नि से सुरक्षा तथा वन अपराधों के नियंत्रण के लिए नियामक प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इस वर्ष जहाँ रायपुर जिले के बारनवापारा अभयारण्य, बिलासपुर जिले के अचानकमार अभयारण्य, बस्तर के कांगेर घाटी तथा कबीरधाम के भोरमदेव अभयारण्य को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं अचानकमार अभयारण्य एवं सीता नदी उदंती

अभयारण्य को प्रोजेक्ट टायगर परियोजना के अंतर्गत अधिसूचित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश के 32 वन मंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करते हुए 32 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र में वनौषधियों के संरक्षण एवं विकास का कार्य किया जा रहा है। वनों के संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन समिति की सहभागिता को और भी व्यवहारिक बनाने एवं प्रोत्साहन दिए जाने के समुचित प्रयास किए जा रहे हैं।

अधोसंरचना विकास

15. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अंधोसंरचना विकास की विशेष जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष लोक निर्माण विभाग के बजट में गत वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक प्रावधान रखा गया है जो विगत 3 वर्षो की तुलना में सर्वाधिक है। इस वर्ष प्रदेश की 125 निर्माणाधीन सड़कों का कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं 349 नवीन सड़कों एवं पुल-पुलियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रदेश में 3200 किलोमीटर अतिरिक्त डामरीकृत पक्की सड़कों का निर्माण हो सकेगा। वर्ष भर में प्रदेश में 6,000 किलोमीटर लंबाई की अतिरिक्त पक्की सड़क बनाई जाएगी।

16. प्रदेश की औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु बजट में पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। औद्योगिक विकास केन्द्र उरला, सिलतरा तथा सिरगिट्टी की जल प्रदाय योजना एवं सड़क उन्नयन हेतु 5 करोड़ रुपए का

प्रावधान है। अपेक्षाकृत अविकसित जिला सरगुजा, कवर्धा, रायगढ़, महासमुंद एवं धमतरी में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लघु औद्योगिक इकाईयों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्देश्य से जो रियायतें दी जा रही हैं, उनका उल्लेख मैं पृथक से भाषण के द्वितीय भाग में करूँगा।

17. कमजोर तथा मध्यम आयवर्गों के आवास की समस्या के निराकरण के लिए **''छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल''** का गठन किया गया है। प्रदेश के नगरों को झुग्गी बस्तियों से मुक्त कराने हेतु शहरी निर्धन परिवारों के लिए 10 रुपए प्रतिदिन की दर से जमा करने पर पक्के आवास उपलब्ध कराने हेतु **''अटल आवास योजना''** संचालित की जा रही है। प्रदेश में आवागमन को सुचारू रूप से चलाने तथा व्यस्त क्षेत्रों में व सड़कों के किनारे अव्यवस्थित खड़े भारी वाहनों को नगर से बाहर सुनियोजित स्थान पर खड़े करने हेतु **''ट्रांसपोर्ट नगर योजना''** संचालित की जा रही है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित डेयरियों को नगर की बाहरी सीमा में स्थानांतरित कर **''गोकुल नगर योजना''** का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए विशेषज्ञों के माध्यम से मास्टर प्लान बनाया जाएगा एवं तदनुरूप विकास किया जाएगा।

18. अध्यक्ष महोदय, विद्युत उत्पादन में पूरे भारत वर्ष में छत्तीसगढ़ का विशेष महत्व है। राज्य में कोयला का प्रचुर भंडार होते हुए भी हमारा विद्युत उत्पादन भारत वर्ष की कुल विद्युत उत्पादन का सिर्फ 4 प्रतिशत है

एवं हमें ऊर्जा की धुरी बनने में काफी लंबा सफर तय करना है। विगत 3 वर्षों में विद्युत उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। प्रदेश में तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास में ऊर्जा की बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए कोरबा में 500 मेगावाट क्षमता की नई विद्युत परियोजना प्रारम्भ की जाएगी एवं इसके लिए राज्य विद्युत मंडल द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से 1431 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त ऋण राशि में से 429 करोड़ रुपए की प्रत्याभूति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अपारम्परिक स्त्रोतों से इस वर्ष 250 ग्रामों को विद्युतीकृत किया जाएगा। वर्ष 2007 तक प्रत्येक गांव में विद्युत पहुँचाने का लक्ष्य है। इस वित्तीय वर्ष में 7500 पंपों का विद्युतीकरण किया जाएगा। उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों के निर्धारण में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग गठित किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास

19. अध्यक्ष महोदय, अब मैं मानव संसाधन एवं सामाजिक सेवाओं के विकास कार्यक्रमों के बारे में सदन को अवगत कराना चाहूँगा। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में 251 प्राथमिक एवं 25 आश्रम शालाएं प्रारम्भ किए जाएंगे। 171 भवन विहीन हाई स्कूल एवं 101 हायर सेकेन्डरी शालाओं के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेज, पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई. में आधारभूत सुविधाओं

के उन्नयन हेतु 12.29 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का गठन किया गया है।

20. प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 7 नवीन जिला चिकित्सालयों के लिए पद एवं उपकरण हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है एवं 874 नए उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए 2.2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। **''सिकलसेल''** बीमारी की रोकथाम हेतु सभी चिकित्सालयों में सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा में विस्तार हेतु बिलासपुर एवं रायगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 20.25 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा रायपुर दंत चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 4.71 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी कर रही है। इस दिशा में विशेष प्रयास करते हुए आयुष्मान एंडोसर्जरी सेंटर के साथ अनुबंध किया गया है। इसके अंतर्गत एंडोसर्जरी की सुविधाएं प्रारम्भ करने के लिए 3.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की जनता को पूरी गुणवत्ता की दवाएं मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में एक आयुर्वेदिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 1.31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

21. प्रदेश में 500 आंगनबाड़ी भवनो के निर्माण हेतु 7.50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण हेतु दो क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान तथा एक राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

22. राज्य की नई पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के लिए खेल-कूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय खेल परिसर, रायपुर के निर्माण के लिए 3.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कांकेर, जशपुर तथा बैकुंठपुर में जिला स्तरीय खेल परिसर के निर्माण हेतु 1.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

पेयजल

23. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके, इस पर भी हमनें पर्याप्त ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष 120 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के सभी प्रायमरी स्कूलों में हेंडपंप स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं में 6000 हेंडपंप स्थापित किए जाने के लक्ष्य को इस वर्ष पूर्ण कर लिया जाएगा।

हमारी सरकार ने गिरते हुए भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए 22 भू-जल संवर्धन की योजनाएं तैयार की है, जिससे भू-जल स्तर में सुधार होगा। इस हेतु ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक जलग्रहण प्रकोष्ठ भी राज्य स्तर पर स्थापित किया जा रहा है।

रायपुर एवं भिलाई की पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 6 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर के गुणात्मक सुधार हेतु प्रदेश के 4 जिले क्रमशः दुर्ग, महासमुंद, दंतेवाड़ा एवं राजनांदगांव में गत वर्ष से **''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान''** प्रारम्भ किया गया है। वर्ष 2004-05 में शेष सभी 12 जिलों को इस योजना में शामिल करने हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

पुलिस एवं न्यायिक प्रशासन

24. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का एक बड़ा भाग नक्सल प्रभावित है। इस समस्या से निपटने के लिए एक नई अतिरिक्त वाहिनी का गठन किया गया है। इसके लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण के अंतर्गत थानों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक हथियार क्रय, नए संचार उपकरण एवं पुलिस की परिवहन क्षमता में वृद्धि के लिए वाहनों के क्रय हेतु 36.10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए रायपुर में पुलिस पब्लिक स्कूल तथा पुलिस अस्पताल की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जेल आधुनिकीकरण के अंतर्गत जेलों में पेयजल व्यवस्था, रसोई गैस व्यवस्था, अग्निशमन स्थापना तथा कैदियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है।

25. प्रदेश के 10 जिलों में परिवार न्यायालय की स्थापना हेतु 1.80 करोड़ रुपए, कुरूद, पत्थलगांव एवं भाटापारा में व्यवहार न्यायालय तथा

कवर्धा एवं कोरबा में सिविल जिला न्यायालय स्थापना हेतु 1.31 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ऋण सेवा

26. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य के लोक ऋण के पुनर्विन्यास के संबंध में प्रकाश डालना चाहूँगा। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के ऋणों के केन्द्र शासन द्वारा दिए गए प्रावधिक प्रभाजन के फलस्वरूप राज्य को प्राप्त ऋणों को शामिल करते हुए मार्च, 2004 की स्थिति में राज्य शासन के पास लगभग 8121 करोड़ रुपए का लोक ऋण शेष था। इन ऋणों के ब्याज तथा मूलधन अदायगी पर गत वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए व्यय किए गए। केन्द्र शासन द्वारा उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को कम ब्याज दर वाले ऋणों से प्रतिस्थापित करने हेतु **''डेट स्वाप योजना''** के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अब तक 706 करोड़ रुपए के उच्च ब्याज दर के ऋणों को प्रतिस्थापित किया गया है। इस वर्ष इस योजना हेतु 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2003-04 का पुनरीक्षित अनुमान

27. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2003-04 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

- वर्ष 2003-04 में कुल व्यय 9269.50 करोड़ रुपए अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 8482.06 करोड़ रुपए है। इसका मुख्य कारण बजट अनुमान के समय केन्द्र शासन द्वारा केन्द्र

प्रवर्तित योजनाओं के लिए राज्यों को प्रदान की जाने वाली राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में उक्त निर्णय में संशोधन किया जाकर यह राशि सीधे संबंधित क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई। इसके फलस्वरूप पुनरीक्षित बजट अनुमान में कमी आयी।

- आयोजनेत्तर व्यय बजट अनुमान 4922.55 करोड़ रुपए से बढ़कर 5187.69 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसका मुख्य कारण धान उपार्जन से हुई हानि की क्षतिपूर्ति में लगभग 200 करोड़ रुपए की वृद्धि है।

- राजस्व प्राप्ति में बजट अनुमान 2003-04 में 7327.71 करोड़ रुपए की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 6525.71 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस कमी का मुख्य कारण केन्द्र शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए राज्य शासन को प्रदान की जाने वाली राशि का सीधे संबंधित एजेंसियों को दिया जाना तथा केन्द्रीय करों का कम संग्रहण होना है।

- बजट अनुमान 2003-04 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व घाटा 341.98 करोड़ रुपए से बढ़कर 584.49 करोड़ रुपए हुआ है। बजट अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान में राजकोषीय वित्तीय घाटा लगभग स्थिर है। यह घाटा 1932.91 करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.4 प्रतिशत है।

वर्ष 2004-05 का बजट अनुमान

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

28. वर्ष 2004-05 के लिए कुल व्यय 9368.43 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें आयोजनेत्तर व्यय के रूप में 5653.76 करोड़ रुपए तथा आयोजना व्यय 3714.67 करोड़ रुपए सम्मिलित है। यह गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान से 886.37 करोड़ रुपए अधिक है। माननीय सदस्यगण की जानकारी के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में इस वर्ष आयोजना व्यय में 421 करोड़ रुपए की वृद्धि प्रस्तावित है।

29. आयोजना व्यय में वृद्धि के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि इस बजट की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य के पूंजीगत व्यय में वृद्धि से जहाँ एक ओर दीर्घकालीन आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं पूंजीनिवेश को बढ़ावा मिलता है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष पूंजीगत व्यय में लगभग 394 करोड़ रुपए अर्थात् 32 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जो कि अब तक के वर्षो में सर्वाधिक है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 5.2 प्रतिशत है।

30. सिंचाई क्षमता में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए जल संसाधन विभाग के लिए इस वर्ष बजट में 779.74 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, जो

कि गत वर्ष की तुलना में 255.88 करोड़ रुपए अर्थात् 46 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग के लिए 731.64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 68.21 करोड़ रुपए अधिक है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 755.94 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 242.64 करोड़ रुपए अधिक है।

31. सामाजिक क्षेत्र में संबंधित विभागों के बजट प्रावधान में भी समुचित वृद्धि की गई है। शिक्षा के लिए 948.13 करोड़ रुपए, जो कि गत वर्ष की तुलना में 76.81 करोड़ रुपए अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 278.68 करोड़ रुपए, जो कि गत वर्ष की तुलना में 30.77 करोड़ रुपए अधिक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 237.82 करोड़ रुपए, जो कि गत वर्ष की तुलना में 29 करोड़ रुपए अधिक है एवं आदिम जाति कल्याण के लिए 848.06 करोड़ रुपए, जो कि गत वर्ष की तुलना में 83. 66 करोड़ रुपए अधिक है।

32. वर्ष 2004-05 की राज्य आयोजना में सामान्य आयोजना में 1855.15 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 1094.44 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना में 345.40 करोड़ रुपए इस प्रकार कुल 3294.99 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

33. आयोजनेत्तर व्यय में मुख्य रूप से वेतन के लिए 1947 करोड़ रुपए, पेंशन भुगतान बाबत् 451.18 करोड़ रुपए, ब्याज भुगतान के लिए

1067.81 करोड़ रुपए तथा राज्य की विभिन्न संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान बाबत् 1076.91 करोड़ रुपए सम्मिलित है।

34. राज्य शासन ने अपने स्थापना व्यय को सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष आयोजनेत्तर व्यय में वृद्धि लगभग 8.9 प्रतिशत है। वेतन भत्तों पर होने वाला कुल व्यय, कुल राजस्व आय का 32 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है।

35. वर्ष 2004-05 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियाँ 7365.44 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। राज्य की कर राजस्व प्राप्ति 3043.51 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। राज्य का करेत्तर राजस्व 1281.58 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। कुल केन्द्रीय सहायता 3040.35 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य को केन्द्रीय सहायता में केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में मात्र 411 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहा है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन योजनाओं से विभिन्न विकासोन्मुखी कार्यो के लिए केन्द्र शासन से अधिक से अधिक सहायता राशि प्राप्त की जाए।

36. राजस्व घाटा 240.29 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 344.20 करोड़ रुपए अर्थात् 59 प्रतिशत कम है। वर्ष 2004-05 के लिए राजकोषीय वित्तीय घाटा 1979.41 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.2 प्रतिशत है। गत वर्ष की तुलना में सकल वित्तीय घाटा में 46.50 करोड़ रुपए की वृद्धि अनुमानित है। माननीय सदस्यगण की जानकारी के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि इस वर्ष पूंजीगत व्यय में 32 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद राजकोषीय वित्तीय घाटा में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह उम्मीद है कि माननीय सदस्यगण के सहयोग से मैं राजकोषीय मध्यावधि सुधार कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में राजस्व घाटा को शून्य स्तर पर एवं राजकोषीय वित्तीय घाटा को 4 प्रतिशत तक लाने में सफल रहूँगा।

37. राज्य की कुल आयोजना 3294.99 करोड़ रुपए के संसाधन हेतु राजस्व से शेष के रूप में लगभग 824 करोड़ रुपए, विद्युत मंडल से अंशदान के रूप में 100 करोड़ रुपए, विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ ऋणात्मक 431.27 करोड़ रुपए, विभिन्न प्रकार के ऋण से लगभग 1524 करोड़ रुपए तथा केन्द्रीय सहायता, जिसमें अनुदान तथा ऋण शामिल है, से 1015.70 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 3031.63 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

38. उपरोक्त वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप वर्ष 2004-05 के आय-व्यय में 263.36 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा अनुमानित है तथा वर्ष 2003-04 के अंतिम ऋणात्मक शेष 255.69 करोड़ रुपए को शामिल करते हुए वर्ष 2004-05 का अंतिम ऋणात्मक शेष 519.05 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस घाटे की पूर्ति अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर तथा वित्तीय अनुशासन के माध्यम से की जाएगी।

भाग – दो

39. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्व वृद्धि के उपाय के बारे में सदन को बताना चाहूँगा। इस वर्ष राजस्व बढ़ाने की हमारी रणनीति कर की दरों में युक्तियुक्तकरण करना, कर प्रक्रिया को सरल तथा पारदर्शी बनाना एवं कर प्रशासन को चुस्त बनाना है। हमारा यह अनुभव रहा है कि कर की दरों में युक्तियुक्तकरण से करदाताओं में स्वप्रेरणा से कर अदायगी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, कर राजस्व में वृद्धि होती है तथा वाणिज्य एवं व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

40. अध्यक्ष महोदय, आम उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने तथा कर की दरों में युक्तियुक्तकरण हेतु मेरा प्रस्ताव निम्नानुसार है –

- गुड़ पर प्रचलित 0.5 प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त किया जायेगा।
- नारियल तथा वनस्पति घी पर प्रचलित कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जायेगी।
- किराना वस्तुओं की सूची में सूखा मेवा को शामिल किया जायेगा।
- रेडिमेड वस्त्र तथा होजयरी पर प्रचलित कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जायेगी।

- 200 रुपए मूल्य तक के चश्मा को वाणिज्यिक कर से मुक्त किया जाएगा।

- लघु वनोपज (तेंदू पत्ता को छोड़कर) की पृथक श्रेणी बनाकर इस पर कर की दर 4 प्रतिशत रखी जायेगी।

- पी.व्ही.सी. शीट तथा फेब्रिक पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जायेगी।

- बेयरिंग पर प्रचलित कर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जायेगी।

41. अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आश्रित है। यहाँ मुख्यत: धान की पैदावार की जाती है, जिससे प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। प्रदेश में वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन देने तथा सिंचाई सुविधा के विकास के लिए मैं वाणिज्यिक करों में निम्नानुसार रियायतें प्रस्तावित करता हूँ –

- तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए तिलहन (साल बीज, महुआ बीज तथा नारियल छोड़कर) को वाणिज्यिक कर से मुक्त किया जाएगा।

- 5 हार्सपॉवर तक के पंप पर वाणिज्यिक कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी।

- स्प्रिंकलर सिस्टम तथा इसके स्पेयर पार्ट्स पर वाणिज्यिक कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी।

42. अध्यक्ष महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था में लघु औद्योगिक इकाईयों का एक विशेष महत्व है। इनसे न केवल राज्य के औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि होती है, बल्कि अधिक से अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इसलिए राज्य की लघु औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं निम्नानुसार रियायतें प्रस्तावित करता हूँ –

- वर्तमान में लघु उद्योगों व्दारा केवल लघु उद्योग से कच्चा माल क्रय करने पर प्रवेश कर से छूट के स्थान पर लघु उद्योग द्वारा प्रदेश में स्थित किसी भी उद्योग से कच्चा माल (कोयला तथा लोह अयस्क छोड़कर) क्रय पर प्रवेश कर से छूट प्रदान की जायेगी।

- प्रदेश में धान उपार्जन के कार्य में उपयोग होने वाले जूट बैग के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जूट बैग तथा जूट रस्सी पर कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जायेगी।

- प्रदेश की राईस मिलों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर से आयातित राईस ब्रान पर 5 प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किया जायेगा।

- प्रदेश के एल्यूमिनियम पर आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी ईकाईयों द्वारा एल्यूमिनियम इन्गाट, एल्यूमिनियम वायर रॉड तथा कोल्ड रोल्ड एल्यूमिनियम क्वायल का कच्चा माल के रूप में उपयोग करने पर चुकाये गये कर की पूर्ण मुजराई दी जायेगी तथा निर्मित वस्तुओं पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत की जायेगी।

43. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मैं निम्नानुसार प्रस्ताव करता हूँ –

- स्पंज आयरन इकाईयों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए केन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जायेगी।

- रेलवे तथा विद्युत विभाग में उपयोग में आने वाले लोहा एवं इस्पात की फेब्रिकेटेड वस्तुओं पर कर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जायेगी। इससे प्रदेश में लोहा एवं इस्पात पर आधारित उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीन उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

- छत्तीसगढ़ राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है। सीमेंट के पैकिंग में उपयोग होने वाले एच.डी.पी.ई. बैग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्माण प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कच्चा माल प्लास्टिक एवं पी.व्ही.सी. ग्रेन्यूल्स पर चुकाए गए वाणिज्यिक कर की पूर्ण मुजराई दी जाएगी।

- भिलाई इस्पात संयंत्र व्दारा राज्य के बाहर से आयतित फायर ब्रिक्स पर प्रवेश कर 10 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत तथा राज्य के बाहर से आयातित फेरो एलॉयज पर कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जायेगी।

44. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में राहत पहुँचाने के उद्देश्य से मरीजों के उपयोग में आने वाली ऑक्सीजन को वाणिज्यिक कर से मुक्त किया जाएगा।

45. अध्यक्ष महोदय, मैं कर प्रक्रिया में निम्नानुसार सरलीकरण प्रस्तावित करता हूँ –

- बाजार में ब्याज की दरों में गिरावट होने के कारण विलम्ब से कर जमा करने पर प्रचलित ब्याज दर 15 प्रतिशत वार्षिक तथा किश्त सुविधा पर प्रचलित ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक को घटाकर 12 प्रतिशत वार्षिक किया जायेगा तथा कर वापसी की राशि पर

प्रचलित ब्याज दर 12 प्रतिशत वार्षिक से घटाकर 6 प्रतिशत वार्षिक किया जायेगा।

- अधिक जमा कर की वापसी चेक व्दारा प्रदाय किये जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।

- संक्षिप्त कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यवसायी द्वारा विवरण पत्रों को प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा। विवरण पत्र स्वीकार करने की लिखित सूचना भेजने की बाध्यता समाप्त की जायेगी।

- अपील एवं निगरानी प्रकरणों के निर्वतन के लिए एक कैलेण्डर वर्ष की समय सीमा रखी जायेगी।

- अपील प्रकरणों में प्रकरण रिमाण्ड किये जाने की व्यवस्था समाप्त की जायेगी तथा निगरानी प्रकरणों में केवल एक बार प्रकरण रिमाण्ड किये जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।

- वाणिज्यिक कर प्रकरणों के निपटारे के लिए पृथक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जायेगी।

- भूल सुधार आदेश के लिए समयसीमा आवेदन दिनांक से 3 माह रखी जायेगी।

46. अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के लिए मेरा प्रस्ताव निम्नानुसार है -

- वर्तमान में कुछ वस्तुओं के उपयोग के हस्तांतरण पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगता है, दूरसंचार से संबंधित वस्तुओं जैसे - टेलीफोन, मोबाईल फोन, सिम कार्ड, रिचार्ज वाउचर, वी.सी.सी कार्ड एवं अन्य सभी वस्तुओं के उपयोग के हस्तांतरण पर कर मिल सके इसके लिए सभी वस्तुओं को इसके दायरे में लाया जायेगा तथा प्रचलित कर की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जायेगी।

- बाक्साईट का उपयोग निर्माण प्रक्रिया में होने पर प्रचलित प्रवेश कर की दो दरों- राज्य के भीतर से प्रवेश पर 1.5 प्रतिशत तथा राज्य के बाहर से प्रवेश पर 50 प्रतिशत - के स्थान पर एक समान दर 6 प्रतिशत रखी जायेगी।

- वर्तमान में केवल भिलाई स्थानीय क्षेत्र में निर्माण हेतु लौह अयस्क तथा कोकिंग कोल का प्रवेश होने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगता है जबकि अन्य क्षेत्रों में 1 प्रतिशत प्रवेश पर लगता है इस विसंगति को दूर करने के लिए प्रदेश के सभी स्थानीय क्षेत्रो में निर्माण हेतु लौह अयस्क तथा कोकिंग कोल का प्रवेश होने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगेगा।

- ऐसा कोयला जिस पर वाणिज्यिक कर न लगा हो, का निर्माण प्रक्रिया में उपयोग हेतु प्रवेश कराने पर 6 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जायेगा।

उपरोक्त प्रस्तावों से लगभग 25 करोड़ रुपए वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

47. छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम, 1981 के अनुसार विद्युत उपकर की दर 1 पैसे प्रति यूनिट को बढ़ाकर 5 पैसे प्रति यूनिट की जाएगी। इससे लगभग 36 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व संग्रहण होगा।

48. अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमारी सरकार का पहला बजट है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों में विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों का प्रदेश के विकास में दूरगामी असर होगा। हमारा यह प्रयास होगा कि प्रदेश के खनिज संसाधनों का भरपूर दोहन हो तथा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हम देश में अग्रणी रहें। राज्य की स्वयं की आय में वृद्धि के लिए हम कटिबद्ध हैं। राज्य के वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राज्य शासन उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त वित्तीय अनुशासन का पालन करेगी। मुझे उम्मीद् है कि माननीय सदस्यगण के सहयोग से मैं बजट में दिए गए आश्वासन की पूर्ति करने में सफल होऊँगा। इस विश्वास के साथ मैं वार्षिक बजट 2004-05 तथा वित्त विवरण माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद

जयहिन्द